चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

अतिमहत्वपूर्ण / तत्काल

पत्रांक : गोप0 / 1253
दिनांक : 01/08/2023

विषय :**बी0एड0 प्रवेश परीक्षा–2023 की काउन्सिलिंग प्रक्रिया के दृष्टिगत स्नातक अन्तिम सेमेस्टर / वर्ष के परीक्षा परिणाम विलम्बतम् दिनांक 10.08.2023 तक घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।**

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–208 / सत्तर–7–2023–बी0एड0(09) / 2014टी0सी0, दिनांक 27 जुलाई, 2023 द्वारा निर्देश प्रदान किये गये हैं कि बी0एड0 प्रवेश परीक्षा–2023 की काउन्सिलिंग प्रक्रिया के दृष्टिगत स्नातक अन्तिम सेमेस्टर / वर्ष के परीक्षा परिणाम विलम्बतम् दिनांक 10.08.2023 तक प्रत्येक दशा में घोषित कर दिये जायें।

उक्त के दृष्टिगत प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश के क्रम में ऐसे महाविद्यालयों / संस्थानों के प्राचार्य / प्राचार्या / निदेशक जिनके द्वारा अभी तक अन्तिम सेमेस्टर / वर्ष के आन्तरिक / प्रयोगात्मक / मौखिक परीक्षा के अंक पोर्टल पर अपलोड नहीं किये गये हैं, से अनुरोध है कि 03 दिवस के अन्दर प्रत्येक दशा में उक्त वांछित अंक पोर्टल पर अपलोड कर परम्परागत पाठ्यक्रमों के अंकपर्ण की दो प्रतियां (कुलसचिव प्रति एवं टैबुलेटर प्रति) खिड़की नं0–40 एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंकपर्ण की दो प्रतियां कमरा नं0–308 में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि आन्तरिक / प्रयोगात्मक / मौखिक परीक्षा के अंकों के अभाव में किसी छात्र / छात्रा का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हो पाता है और छात्र / छात्रा बी0एड0 सत्र 2023–25 की काउन्सिलिंग में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो इसका समस्त दायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय / संस्थान के प्राचार्य / प्राचार्या / निदेशक का होगा।

01-08-2023
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सादर संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–7 को सादर सूचनार्थ।
3. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
4. वैयक्तिक सहायक, परीक्षा नियन्त्रक को परीक्षा नियन्त्रक जी के सूचनार्थ।
5. समन्वयक, रिजल्ट सेल को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रभारी, कम्प्यूटर केन्द्र को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. प्रभारी वेबसाईट को इस आशय से कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप कुलसचिव (गोपनीय)